<u>न्यायालय– ग्यारहवें जिला न्यायाधीश रीवा म.प्र0.</u>

<u>एम.सी.ए 164/2022</u>
श्रीमती उमा द्विवेदी एवं अन्य वि
महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी एवं अन्य

17.04.2026

अपीलार्थी द्वारा श्री मारकंडेय सिंह अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क0–01 द्वारा श्री मनीष मिश्रा अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क0–02 व 03 द्वारा श्री चंद्रप्रताप तिवारी अधिवक्ता।

प्रकरण विवादित भूमियों के संबंध में अपीलार्थी के स्पष्टीकरण हेतु नियत है।

इसी स्तर पर अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि मूल प्रकरण में कुछ तकनीकि त्रुटि है, जिन्हें वह समुचित आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर मूल वाद में संशोधन करने के उपरांत पुनः विधि अनुरूप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः वह हस्तगत अपील उक्त स्वतंत्रता के साथ प्रत्याहरित करना चाहते हैं जिस पर प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को भी कोई आपत्ति न होना व्यक्त किया गया। हस्तगत अपील के प्रत्याहरित किये जाने की टीप अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आदेश पत्रिका के हासिये एवं अपील पर अंकित कर हस्ताक्षरित की गयी।

हस्तगत अपील उक्त के दृष्टिगत उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ प्रत्याहरित किये जाने से निरस्त की जाती है।

आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को मूल अभिलेख के साथ प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर व्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित की जावे।

सही/
मोहित कुमार
ग्यारहवें जिला न्यायाधीश
जिला–रीवा (म0प्र0)

MOHIT KUMAR SHARMA
Digitally signed by MOHIT KUMAR SHARMA
Date: 2026.04.17 17:47:24 +0530